"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105] रायपुर, सोमवार, दिनांक 27 मार्च 2017— चैत्र 6 , शक 1939

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–3/2017/32. — जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से परामर्श के पश्चात्, एतद्द्वारा, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) छत्तीसगढ़ नियम, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

उपाबंध के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"उपाबंध
शक्तियों का प्रत्यायोजन
नियम 7 के उप–नियम (4), नियम 9 के उप–नियम (6) तथा नियम 12 के अधीन

प्रशासनिक शक्तियां

स. क्र.	शक्तियों का विवरण	अध्यक्ष की शक्तियां	सदस्य सचिव की शक्तियां	मंडल की शक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने/रोकने की शक्ति।	प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्ति।	तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्ति।	कुछ नहीं

2.	दक्षता रोध को पार करने की स्वीकृति देने की शक्ति।	प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्ति।	तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्ति।	कुछ नहीं
3.	आकस्मिक अवकाश तथा विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना।	–	प्रथम श्रेणी अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्ति।	कुछ नहीं
4.	सभी प्रकार के अवकाश तथा भारत के भीतर अध्ययन अवकाश स्वीकृत करना।	–	प्रथम श्रेणी अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्ति।	कुछ नहीं
5.	छत्तीसगढ़ सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति।	प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्ति।	तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्ति।	कुछ नहीं
6.	दौरा कार्यक्रमों का अनुमोदन।	–	प्रथम श्रेणी अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्ति।	कुछ नहीं
7.	गोपनीय प्रतिवेदनों का लेखन	–	प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्ति।	कुछ नहीं

वित्तीय शक्तियां

क्र.	शक्तियों का विवरण	अध्यक्ष की शक्तियां	सदस्य सचिव की शक्तियां	मंडल की शक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	यात्रा भत्ता बिलों तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों पर प्रति हस्ताक्षर करना।	स्वयं हेतु पूर्ण शक्ति	समस्त प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों तथा मण्डल के अशासकीय सदस्यों के यात्रा भत्ता बिल।	पूर्ण शक्ति
2.	मण्डल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को राज्य के बाहर यात्राओं की स्वीकृति देना।	–	पूर्ण शक्ति	पूर्ण शक्ति
3.	प्रत्येक मामले में दौरे पर 10 दिन तक के विश्राम पर दैनिक भत्ते के संदाय को सीमित करने वाले नियम से छूट प्रदान करना।	–	30 दिन तक की पूर्ण शक्ति।	30 दिन से अधिक की पूर्ण शक्ति।
4.	अतिरिक्त धारित पद के न्यूनतम वेतन के 10 प्रतिशत से अनधिक विशेष वेतन स्वीकृत करने की शक्ति।	समस्त कर्मचारियों के लिए 12 माह से अनधिक कालावधि हेतु।	–	–
5.	(क) आकस्मिक व्यय स्वीकृत करना।	अनावर्ती स्वरूप की एकल मद के लिये 2,00,000 रू. तथा अनावर्ती स्वरूप की मद के लिये 1,00,000 रू. तक	अनावर्ती स्वरूप की एकल मद के लिये 1,00,000 रू. तथा अनावर्ती स्वरूप की मद के लिये 50,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति

	(ख) भाव आदि आमंत्रित किये बिना स्थानीय बाजार से अल्प खरीदी करना	—	सदस्य सचिव, एक समय में स्थानीय बाजार से किसी एक ऐसी वस्तु, जिसका मूल्य 10,000 रू. से अधिक न हो, की खरीदी नगद के रूप से कर सकेगा। सदस्य सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना किसी भी ऐसी वस्तु, जिसका मूल्य 10,000 रू. से अधिक हो, की खरीदी नगद के रूप में नहीं करेगा।	पूर्ण शक्ति
6.	लेखन सामग्री आदि की खरीद।	—	प्रतिमाह 50,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति
7.	पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं की खरीद	बजट प्रावधान तक पूर्ण शक्ति	प्रतिमाह 50,000 रू. तक	पूर्ण शक्तिं
8.	बेकार माल को बट्टे खाते में डालना	—	प्रत्येक मामले में 25,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति
9.	शोरूम, गैरेज कार्यालय आदि के भवनों को भाड़े पर लेना	—	प्रतिवर्ष 1,00,,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति
10.	फर्नीचर खरीदना	—	प्रतिमाह 1,00,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति
11.	सिविल कार्यों हेतु अनुमानों का अनुमोदन करना और उपकरणों की खरीदी।	—	प्रतिवर्ष 10,00,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति
12.	मंडल के कार्यकलापों से संबंधित मनोरंजन तथा अन्य विविध मदों पर हुए व्यय को स्वीकृत करना।	—	एक बार में 1,00,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति
13.	आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के पदों का सृजन।	—	पूर्ण शक्ति	पूर्ण शक्ति
14.	निविदाओं की स्वीकृति	—	10,00,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति
15.	(क) खुली निविदाएं तथा एकाधिक वैध निविदाएं।	—	10,00,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति
	(ख) बातचीत द्वारा संविदाओं की स्वीकृति से एकल निविदा।	—	2,00,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति
	(ग) आपातकाल के कारण नविदायें आमंत्रित किये बिना संविदाओं की स्वीकृति।	—	1,00,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति
	(घ) निम्नतम भाव के आधार पर खुली निविदाएं।	—	2,00,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति
	(ङ) जहां निम्नतम भाव वाली निविदाएं स्वीकार नहीं की जानी हो, वहां खुली निविदाएं।	—	2,00,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति
16.	सर्वेक्षण वस्तुओं की खरीद।	—	2,00,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति
17.	प्रयोगशाला उपस्करों की खरीद।	—	1,00,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति

18.	विज्ञापन/मुद्रण प्रभारों की स्वीकृति देना।	—	एक समय में 50,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति
19.	सामग्रियों को अधिशेष एवं बेकार घोषित करना तथा उनके रक्षित/पुनर्विक्रय मूल्य नियत करना तथा उनके व्ययन का ढंग विहित करना।	—	2,00,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति
20.	खरीद की मदों से भिन्न आपातकालीन निर्माण कार्यों के लिये व्यय।	—	1,00,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति
21.	हानियों को बट्टे खाते डालने की स्वीकृति देना (क) जो चोरी, कपट तथा उपेक्षा के कारण न हुई हो. (ख) जांच के अध्यधीन रहते हुये कपट, चोरी या उपेक्षा के कारण हुई हो.	—	—	पूर्ण शक्ति
22.	विलंब शुल्क/घाट भाड़ा की स्वीकृति	—	प्रत्येक मामले में 25,000 रू. तक	पूर्ण शक्ति
23.	निधियों का विनिधान	—	पूर्ण शक्ति	—
24.	कर्मचारियों को अग्रिम का भुगतान : (क) मोटर कार/मोटर साइकिल/साइकिल	—	प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को नियमानुसार पूर्ण शक्ति	—
	(ख) भवन निर्माण	—	प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को नियमानुसार पूर्ण शक्ति	—
	(ग) यात्रा भत्ता	—	प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों और मंडल के अशासकीय सदस्यों को नियमानुसार पूर्ण शक्ति	—"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2017

क्रमांक एफ 1–3/2017/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मार्च, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya raipur, the 24th March 2017

NOTIFICATION

No. F1-3/2017/32. — In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No.6 of 1974), the State Government, after consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board, hereby, makes the following amendment in the Water (Prevention and Control of Pollution) Chhattisgarh Rules,1975, namely : -

AMENDMENT

In the said rules,-

For Annexure, the following shall be substituted, namely:-

"ANNEXURE
DELEGATION OF POWERS
Under sub-rule (4) of rule 7, sub-rule(6) of rule 9 and rule 12

ADMINISTRATIVE POWERS

S. No.	Particulars of Powers	Powers of Chairman	Powers of Member Secretary	Powers of Board
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Power to grant/withhold annual increments.	Full power in respect to class I and class II officers.	Full power in respect to class III and class IV employees.	Nil
2.	Power to sanction crossing of efficiency bars.	Full powerin respect to class I and class II officers.	Full power in respect to class III and class IV employees.	Nil
3.	To sanction casual leave and special casual leave.	-	Full power in respect to class I officers.	Nil
4.	To sanction all kinds of leave and study leave within India.	-	Full power in respect to class I officers.	Nil
5.	Power to take disciplinary action in accordance with the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966.	Full power in respect to class I and class II officers.	Full power in respect to class III and class IV employees.	Nil
6.	Approval of Tour Programmes.	-	Full power in respect to class I officers.	Nil
7.	Writing of Confidential reports	-	Full power in respect to class I and class II officers.	Nil

FINANCIAL POWERS

S. No.	Particulars of Powers	Powers of Chairman	Powers of Member Secretary	Powers of Board
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	To Countersign T.A. Bills and Medical reimbursement Bills.	Full power for himself	All class I and class II officers and T.A. Bills of Non-official members of the board.	Full power
2.	To sanction journeys of Boards officers and employees outside the State.	-	Full power	Full power
3.	To grant exemption from the rule of limit of payment of daily allowance to halts on tour 10 days in each case.	-	Full power upto 30 days.	Full power beyond 30 days.
4.	Power to sanction special pay not exceeding 10% of the minimum pay of the additional post held.	For a period not exceeding 12 months for all staff.	-	-
5.	(a) To sanction contingent expenditure.	Upto Rs. 2,00,000 for single item of non-recurring nature and Rs. 1,00,000 for item of non-recurring nature	Upto Rs. 1,00,000 for single item of non-recurring nature and Rs. 50,000 for item of non-recurring nature	Full power
	(b) To make petty purchase from local market without calling quotations etc.	-	The Member Secretary may purchase any one article not exceeding Rs. 10,000 in value at a time in cash from local market. No article of the value of which exceeds Rs. 10,000 shall be purchased in cash by the Member Secretary without the approval of the Chairman.	Full power
6.	Purchase of stationary articles etc.	-	Upto Rs. 50,000 per month.	Full power
7.	Purchase of Books and Journals	Full Power up to budget provisions.	Upto Rs. 50,000 per month.	Full power
8.	Write off dead stock	-	Upto Rs. 25,000 in each case.	Full power
9.	Hiring of Building for Showrooms, garages, office etc.	-	Upto Rs. 1,00,000 per annum.	Full power
10.	To purchase furniture	-	Upto Rs. 1,00,000 per month.	Full power
11	To approve estimates for civil works and purchase of	-	Upto Rs. 10,00,000 per annum.	Full power

	equipments.			
12.	To sanction expenditure on entertainment and other miscellaneous items in connections with the affairs of the Board.	-	Upto Rs. 1,00,000 at a time.	Full power
13.	Creation of posts of contingency paid staffs.	-	Full power	Full power
14.	Acceptance of Tenders	-	Upto Rs. 10,00,000	Full power
15.	(a) Open tenders and more than one valid tender.	-	Upto Rs. 10,00,000	Full power
	(b) A single tender by acceptance of contracts by negotiations.	-	Upto Rs. 2,00,000	Full power
	(c) Acceptance without calling tenders of contracts due to emergency.	-	Upto Rs. 1,00,000	Full power
	(d) Open tenders on the basis of lowest quotations.	-	Upto Rs. 2,00,000	Full power
	(e) Open tenders where lowest quotation is not to be accepted.	-	Upto Rs. 2,00,000	Full power
16.	Purchase of Survey Articles.	-	Upto Rs. 2,00,000	Full power
17.	Purchase of Laboratory equipment	-	Upto Rs. 1,00,000	Full power
18.	Sanction of advertisement/ printing charges.	-	Upto Rs. 50,000 at a time.	Full power
19.	To declare stores as surplus unserviceable and to fix their . reserve/resale price and to prescribe the mode of their disposal.	-	Upto Rs. 2,00,000	Full power
20.	Expenditure for emergency construction of works other than items of purchase.	-	Upto Rs. 1,00,000	Full power
21.	To sanction write off losses: (a) Not due to theft, fraud and negligence. (b) Due to fraud, theft or negligence subject to enquiry.	-	-	Full power
22.	Sanction of demurrage/ Wharf-age	-	Upto Rs. 25,000 in each case.	Full power
23.	Investment of funds	-	Full power	-
24.	Payment of advance to the employees: (a) Motor Car/Motor Cycle/ Cycle	-	Full power as per rules to class I and class II officers.	-

	(b) House Building	-	Full power as per rules to class I and class II officers.	-
	(c) Travelling Allowance	-	Full power as per rules to class I and class II officers and to non-official members of the board	-”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.